फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

प्रार्थीगण — अप्रार्थीगण

गफार लोहार बनाम **बरकत लौहार वगैरह**

प्रकरण : राजस्व प्रार्थना पत्र — मुकदमा नं. 67 /2022

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
24/06/2022	यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वकील श्री शैलेन्द्र सिहं कालवी ने पेश किया। बहस वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, शपथ पत्र एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे मामला पृथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। ग्राम पातेली के ख.न. 187 रकबा 0.9470 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण के हक हिस्से कब्जे काश्त व राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन तथा भूमि का बैचान हस्तान्तरण यदि होता है तो अपूरणीय क्षति प्रार्थी पक्ष को होगी। मुदवादिया भूमि पक्षकारान की बडेर की होने से मामला प्रथम दृष्टयां हक घोषणा खातेदारी का प्रतीत होता है जिसमें प्रार्थीगण का हित निहित है। तथा उक्त भूमि का बिना विधिवत् बंटवारे के बैचान, हस्तान्तरण इत्यादि होता है तो अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी पक्षकारान् को होगी। अतः उभय पक्षकारान् को जरिये अन्तरिम अरथाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाता है कि ग्राम पातेली के ख.न. 187 रकबा 0.9470 हैक्टेयर भूमि का बैचान, हस्तान्तरण रहन दान आगामी आदेश तक नहीं करे तथा राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे एवं अप्रार्थी सं. 3 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा बैचान हस्तांतरण दान रहन आदि तस्दीक नहीं करे । अप्रार्थीगण को जबाब हेतु जरिये नोटिस तलब किया जावे। वकील प्रार्थी आदेश 39 नियम 3 सीपीसी के तहत पक्षकारों की तलबी हेतु सम्मन मय रजिस्ट्रड डाक खर्च के साथ पेश करें। पत्रावली दिनांक 1.0.8.22 को पेश हो। सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल, जिला नागौर	20/7
19/7/22	पत्रावली मूल वाद के साथ पेश हुई। मूल वाद प्रार्थी द्वारा राजीनामा हो जाने से जरिये निर्णय खारिज करवा लिया है। वाद के अभाव में प्रार्थना पत्र का औचित्य शेष नहीं रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 RTAct का खारिज किया जाता है। मूल वाद के साथ नत्थी रहे। सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल	गफार